फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी प्रथम, जयपुर

राहुल बनाम मंगली

मुकदमा संख्या/वर्ष Suit : 03/17 /2020

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	13.11.2020	पत्रावली, आज, प्रार्थी /वादी की ओर से शीघ्र सुनवाई प्रार्थना जो कि दिनांक 26.10.20 को प्रस्तुत की गई थी प्रस्तुत हुई। प्रार्थी द्वारा शीघ्र सुनवाई प्रा.पत्र के साथ प्रार्थना-पत्र बाबत वाद विड्रा किये जाने प्रस्तुत किया गया है। शामिल मिसल रहे। वादी/प्रार्थी स्वयं उपस्थित। वादी की पहचान उसके अधिवक्ता द्वारा की गई। पत्रावली अंतिम आदेशार्थ दिनांक 09-12-20 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी जयपुर (प्रथम) जयपुर	13/11/2020 Sd by PRADHU 17/11/20
	09.12.20	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ, वाद-विड्रा किये जाने प्रस्तुत हुई। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में अंकित किया है कि वादपत्र विभाजन का वाद है। जयपुर विकास प्राधिकरण से सहमति की गई है, इस वाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अतः वाद विड्रा। खारिज करवाने का निवेदन किया गया। न्यायालय द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा बयान के अवलोकन से, वादी प्रस्तुत प्रा.पत्रानुसार उसकी ... न्यायालय में विचाराधीन वादपत्र में कोई ... नहीं चाहता है, ऐसे में प्रार्थी ... स्वीकार किया ... को उक्त उनवानी वाद 03/17 राहुल बनाम मंगली ... को न्यायालय से विड्रा की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। उप खण्ड अधिकारी जयपुर (प्रथम) जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.01.05 17:51:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner